संख्याः 6065 /नौ-4-11-2नियम/05टीसी

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4

लखनऊः दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा के अधीक्षक संवर्ग की पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-287/10-59(एम)/08, दिनांक 16.3.10 तथा अर्द्धशासकीय पत्र सं0-वे0आ0-2-51/10-59एम/08, दिनांक 12.1.11 में लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश सं0-1254/नौ-4-10-2नियम/05, दिनांक 22.4.10 द्वारा उ0प्र0पालिका केन्द्रीयित राजस्व सेवा के अधीक्षक संवर्ग के पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

"नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषद श्रेणी-1 के अधीक्षकों को लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 (₹ 9300-34800) एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200 के स्थान पर वेतन बैण्ड-2 (₹ 9300-34800) में ग्रेड वेतन ₹ 4600 तात्कालिक प्रभाव से स्वीकृत किया जाय।"

2. उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप इस पर होने वाले व्यय का वहन निकायों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-1459 दिनांक-22.11.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किय जा रहे हैं।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

-2-

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4- समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, श्रेणी-1, उ0प्र0।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, इलाहाबाद, उ0प्र0।
6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
7- वित्त (वेतन नियंत्रण) अनुभाग-8
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्माराम वर्मा)
अनु सचिव।